न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31/2025 नामांतरकरण अपील

1. रामसिंह पुत्र हट्या
2. राजेश पुत्र हट्या
3. रंगलाल पुत्र नाथ्या

समस्त जाति गुर्जर निवासी रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरदार पुत्र सुन्दर
2. रामस्वरूप पुत्र नाथ्या
   जाति गुर्जर निवासी रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा। रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 01.12.2025 ग्राम रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा तस्दीक द्वारा तहसीलदार सिकराय)

उपस्थिति :-: श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री अर्पण नागर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 उपस्थित।
: रेस्पोडेन्ट नं. 2 बहस के दौरान अनुपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा , राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांक: 28.04.2026

-: निर्णय :-

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि खाता संख्या 344 के खसरा नम्बर 909 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 909/927 रकबा 0.76 है0 वाके रामा रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। यह भूमि अपीलान्ट नं. 1 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। तथा खाता संख्या 272 के खसरा नम्बर 907 रकबा 1.01 है0 वाके रामा रेटा तहसील सिकराय में स्थित भूमि के खातेदार अपीलान्ट नम्बर 3 व रेस्पोडेन्ट नं. 2 है। उक्त वर्णित भूमि अपीलान्ट 1 नं.लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर रेस्पोडेंट नं. 1 व 3, 4 का कोई लेना देना सरोकार कभी भी नहीं रहा। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट 2 व से मिली भगत करते हुये तथा रेस्पोडेन्ट नं. 5 उपखण्ड अधिकारी सिकराय से मिली भगत करते हुये जोर जबरदस्ती से खाता संख्या नया 272 के खसरा नं. 907 में से खसरा नं. 1138/907 का रास्ता निकलवाते हुये नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जो कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। इसी प्रकार से खाता संख्या 344 के खसरा नं. 909 में से खसरा नं. 1142/909 गै.मु. रास्ता एवं खसरा नं. 909/927 में से खसरा नं. 1144/909 रकबा 0.04 है0 गै.मु. रास्ता का नामान्तरकरण दर्ज कराते हुए राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भी अमल दरामद करा लिया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 01.12.2025 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा ये अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 2 बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुये। अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर
दौसा

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि दिनांक 17.11.2025 को रेस्पोडेन्ट नं. 5 उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131,132 सपठित भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 18,59,60,66,86 के प्रावधान अनुसार खसरा नं. 909, 909/927 ,907,918,908 में से तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शों के अनुसार भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय का दिये गये है जिसके अनुपालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा गै.मु. रास्ता का नामान्तरकरण दर्ज करते हुये राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया है। तथा अब मौके पर भी रास्ता निकालने को आमादा है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पक्षकारान को सुने बगैर ही गै.मु. रास्ता दर्ज कराने के आदेश दे दिये है। खातेदार को सुने बगैर ही उनकी खातेदारी भूमि से रास्ता निकालने का आदेश कानूनी रूप से किसी प्रकार से सही नहीं है। इस आदेश की अनुपालना में जो नामान्तरकरण गै.मु. रास्ते का दर्ज किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा बिना मौके व कब्जे की जांच किये ही नामान्तरकरण की कार्यवाही को पूर्ण कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 01.12.2025 ग्राम रेटा तहसील सिकराय को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 94/2025 उनवान राजस्थान सरकार बनाम सरदार वगै. में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2025 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर में अपील पेश की गई है। जो विचाराधीन है। तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 01.12.2025 ग्राम रेटा तहसील सिकराय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण से संबंधित भूमि के सम्बन्ध में अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में विचाराधीन होते हुये अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज फरमावें।

राजकीय अधीवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा 01.12.2025 को स्वीकृत किया गया है। जिसकी अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के आदेश दिनांक 17.11.2025 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 17.11.2025 के विरूद्ध न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर में अपील पेश की गई है। प्रकरण में सक्षम अपीलेट न्यायालय में अपील पेश होने पर अपीलेट न्यायालय के अध्यधीन कार्यवाही प्रभावी होने से प्रश्नगत नामांतरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

28/4/2026

(अरविन्द शर्मा)
अति० जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/4/2026

(अरविन्द शर्मा)
अति० जिला कलक्टर ,दौसा

Scanned with OKEN Scanner